न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– डिक्री 156 सन् 2002

पंजीयन दिनांक :– 23.08.2018

1. पंचान बोहरा प्रतापगढ़ जरिये शेख अब्बास पिता मुल्ला कमरूद्दीन, मैनेजर–दरगाह काकाजी साहब, प्रतापगढ

–अपीलांट

विरूद्ध

1. मेसर्स जगदीश पेट्रोल पम्प प्रतापगढ जरिये भागीदार जगदीश कुमार पिता चांदमल पोरवाल– मृतक के बजाय
   1/1. चन्दा पोरवाल पत्नी जगदीश कुमार पोरवाल निवासी प्रतापगढ़
   1/2. मनीष कुमार पोरवाल पिता जगदीश कुमार पोरवाल निवासी प्रतापगढ़
   1/3. अविनाश कुमार पोरवाल पिता जगदीश कुमार पोरवाल निवासी प्रतापगढ़
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़
प्रकरण संख्या 220/95 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.05.2002

वक्त बहस उपस्थित–1. हर्ष मेहता– अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चन्दनमल जणवा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3
3. पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 07.07.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने वादपत्र धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शहर प्रतापगढ़ की पुरानी आराजी नम्बर 460 रकबा 6 बिस्वा व 461 रकबा 1 बिस्वा वादी को 99 वर्ष के लिये लीज पर सन् 1977 में दी गई थी जिसका नामान्तरण खोला जाकर वादी के पक्ष में स्वीकृत हुआ। भूमि बिलानाम सरकार थी। वादी को पेट्रोल पम्प लगाए जाने बाबत लीज पर दी गई। मौके पर अभी भी वादी का पेट्रोल पम्प लगा हुआ है। पुराने खसरा नम्बर 460 के रकबे

राजस्व अपील प्राधिकारी

को नये नम्बर 1075 में वक्त सेटलमेंट शामिल कर लिया गया। पुराने खसरा नम्बर 461 का नया नम्बर 1081 बना। उक्त दोनो नम्बरान को पंचान बोहरा समाज के खाते के नम्बरान में बिना किसी युक्तियुक्त आधार के सेटलमेंट वालो ने मिला दिया। अतएव रेवेन्यु रेकार्ड में पूर्व के माफिक अमल दरामद करवाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 35/93 दर्ज किया जाकर बाद कार्यवाही निर्णय दिनांक 21.04.1995 द्वारा वादी का वाद इस बिन्दु पर खारिज कर दिया गया कि इसमें पंचान बोहरा को पक्षकार नही बनाया गया। उक्त निर्णय की अपील की जाने पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.09.1995 से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.04.1995 को निरस्त कर पंचान बोहरा को पक्षकार बनाया जाकर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश देते हुये पत्रावली प्रतिप्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 220/1995 दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 23.05.2002 को वादी का वाद प्रमाणित मानते हुये निर्णय व डिक्री जारी किये गये।

उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील इस आशय की प्रस्तुत की कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.1996 को पंचान बोहरा समाज को सम्मन जारी करने का निर्णय किया। न्यायालय द्वारा फखरूद्दीन पिता अली मोहम्मद के नाम पंचान बोहरा समाज का सचिव मानते हुये सम्मन जारी कर प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में वादपत्र में संयोजित किया। अपीलांट का कहना है कि बोहरा समाज विशाल समाज है। अकेले फखरूद्दीन इनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में आदेश 1 नियम 8 जा0दी0 की पालना नहीं की गई। अतः वाद की कार्यवाही शुरू से ही अवैध होकर शून्य प्रभावी है।

अधीनस्थ न्यायालय में वाद में सुनवाई के दौरान आदेश 6 नियम 17 के तहत दिनांक 08.03.1999 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 26.07.2000 को अधूरी बहस सुनी गई जब तक कायम मुकाम को रिकार्ड पर नहीं लिया जाये तब तक अन्य कार्यवाही नहीं हो सकती जबकि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से दिनांक 07.09.2000 को एक प्रार्थना-पत्र आदेश 13 नियम 2 जा0दी0 का प्रस्तुत किया गया जिसके जवाब में बताया गया कि जगदीश पेट्रोल पम्प के पार्टनर चांदमल व जगदीश का देहांत हो जाने से कायम मुकाम पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा पार्टनरशीप भी भंग हो चुकी है। इसके बावजूद उक्त प्रार्थना-पत्र को सुनवाई हेतु दिनांक 07.11.2000 में नियत कर दिया गया। यह आदेश शून्य प्रभावी है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 श्री बसंतीलाल जैन का सितम्बर 2001 में निधन हो जाने के बावजूद भी उभयपक्ष के वकिल उपस्थित होने का जिक्र है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की अंकित आदेशिकाएं भी मिथ्या है। सन् 1889 में महाराजा प्रतापगढ़ द्वारा मेला लगाने व

राजस्व अपील प्राधिकारी

मुसाफिरखाना के लिये भूमि पंचान बोहरा समाज को दी गई थी एवं निर्माण की अनुमति दी गई थी। वादग्रस्त भूमि इसी का एक हिस्सा है। इस सम्पति के सम्बन्ध में राजस्थान राजपत्र दिनांक 30.06.1966 में अधिसूचना प्रकाशित कर वक्फ सम्पति के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। इस प्रकार वक्फ सम्पति होने से यह कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं आती और इस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 लागू नहीं होते। अतः इस भूमि पर राजस्व कार्मिको द्वारा उक्त अधिनियमों के तहत पंचान बोहरा समाज के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाहियां अवैध व शून्य प्रभावी है।

विगत 3 वर्षो से फखरूद्दीन अंजुमने ताहीरी का सचिव नहीं है। तात्कालिन समय में प्रार्थी शेख अब्बास पिता मुल्ला कमरूद्दीन बोहरा जमात का प्रबन्धक है। वादग्रस्त सम्पति दरगाह काकाजी साहब के स्वामित्व की सम्पति है जिसका स्वामित्व बोहरा समाज प्रतापगढ़ का है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 31.05.2002 को हुई। अतः इनके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध आपत्तियां इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी एक वक्फ सम्पति है इसलिये इस सम्बन्ध में कार्यवाही से पूर्व एक नोटिस वक्फ बोर्ड को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया जाना आवश्यक था। इस सम्बन्ध में राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर द्वारा एक पृथक से प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ न्यायालय को इनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को शून्य करने हेतु प्रेषित किया गया।

वादग्रस्त आराजीयात वक्फ सम्पति होने से कृषि भूमि की श्रेणी में नही आती है एवं राजस्व कार्मिकों को इसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने का क्षैत्राधिकार नहीं है। राजस्व न्यायालय इस सम्बन्ध में निर्णय एवं डिक्री पारित करने के अधिकारी नहीं है।

इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय पंचान बोहरा समाज को विधिवत तामिल नहीं कराई गई। केवल एक व्यक्ति पर सम्मन तामिल नही कराये जा सकते है। प्रकरण में बिना वादी की शहादत निर्णय व डिक्री पारित की गई। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 का निस्तारण किये बिना निर्णय व डिक्री पारित नहीं किये जा सकते। इसी प्रकार दिनांक 24.05.1999 को मृतक जगदीश वादी के कायम मुकाम रिकोर्ड पर नहीं लिया गया और एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2 जा0दी0 का बहस हेतु नियत कर दिया, जो आदेश अवैध है। क्योंकि जब तक मृतक का कायम मुकाम रिकार्ड पर नहीं लिया जाये। उसके बाद की कार्यवाही अवैध व शून्य प्रभावी होती है।

तनकियात नम्बर 1 एवं 2 का निर्णय तनकीयात नम्बर 3 व 4 के निर्णय पर आधारित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिकोर्ड पर स्टेट द्वारा दिये

राजस्व अपील प्राधिकारी

गये पट्टे व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका नम्बर 2507/86 में पारित आदेश की प्रतिलिपि मौजूद थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 व 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाना आवश्यक था। तनकी नम्बर 1 तय करते समय वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य नकल जमाबंदी, नामान्तरण व मिलान क्षैत्रफल का आधार लिया गया जबकि प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत पट्टे की प्रतिलिपि व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका नम्बर 2507/86 में पारित आदेश की रोशनी में देखा जाना चाहिये था।

तनकी नम्बर 2 भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 के आधार पर तय कर दी जो गलत है। अपीलांट/प्रतिवादी सं. 2 का अंकन सेटलमेंट में सही है। पट्टे के आधार पर सेटलमेंट में पंचान बोहरा समाज का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है जो सही है। इस प्रकार तनकियात नम्बर 3 व 4 को भी प्रस्तुत दस्तावेंजो की अनदेखी कर विधि विरूद्ध पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2002 को पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जाये एवं पत्रावली विधिवत कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावें।

अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादी के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दौराने सुनवाई रेस्पोर्डेट प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.12.2002 अन्तर्गत धारा 151 का प्रस्तुत किया जबकि अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 90(1) राजस्थान वक्फ अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। उक्त दोनो प्रार्थना-पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2003 को निर्णित कर निरस्त कर दिये। इस निर्णय में यह कहा गया कि पंचान बोहरा समाज को अपील पेश करने का हक है। इससे जाहिर होता है कि अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने योग्य मान लिया गया। अतः इन्हें पक्षकार माना गया। दिनांक 16.07.2007 को अपीलांट ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के तहत पेश किया। पत्रावली में एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का अपीलांट की तरफ से दिनांक 28.08.2004 को प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना-पत्र लम्बित होने से इस अपीलीय न्यायालय में अपील की कार्यवाही स्थगित रखने हेतु पेश किया। दिनांक 30.11.2004 को उक्त प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में की गई। जिसमें दिनांक 30.11.2004 के निर्णय को यथावत रखा गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

दिनांक 17.05.2023 को अधिवक्ता रेस्पोर्डेट संख्या 1/1 से 1/3 द्वारा 2 प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 व अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पेश किये गये। दोनो प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दिनांक 31.05.2023 को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया गया जबकि प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 स्वीकार कर दस्तावेज रिकोर्ड पर लेने का निर्णय किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की जाकर अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने अपील मेमो, अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अपील मेमो के बिन्दु संख्या (ए) के अनुसार अपीलीय न्यायालय के आदेश की पालना में बिना आदेश पारित किये वकिल वादी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.1996 की आदेशिका में पंचान बोहरा समाज को समन जारी करने का निर्णय किया गया। इस प्रकार बिना किसी औपचारिक आदेश के पंचान बोहरा समाज को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संयोजित करना अवैध एवं शून्य प्रभावी है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा भी इस बिन्दु पर बहस प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 8 जा0दी0 में विरचित प्रक्रिया का पालन नही किया गया। इसी प्रकार इसी बिन्दु को अपील की कॉलम संख्या बी. व सी. में भी उल्लेखित किया गया है और यह आपत्ति की गई है कि जब अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के अनवान में प्रतिवादी के क्रमांक 2 पर श्री पंचान बोहरा प्रतापगढ़ अंकित किया तो सम्मन श्री फखरूद्दीन पिता श्री अली मोहम्मद के नाम का उसे पंचान बोहरा समाज का सचिव बताते हुये क्यो जारी किया गया। रेस्पोर्डेट संख्या 1 वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.01.1996 पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिवत आदेश नहीं दिया और दिनांक 23.01.1996 की आदेशिका में लिखा कि पंचान बोहरा को सम्मन जारी हो। इस प्रकार न्यायालय की तत्पश्चात की गई समस्त कार्यवाही अवैध व शून्य प्रभावी है। पत्रावली में वकिल वादी/रेस्पोर्डेट संख्या 1 द्वारा दिनांक 23.01.1996 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व दिनांक 23.01.1996 की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि वकिल वादी द्वारा जरिये प्रार्थना-पत्र विचाराधीन वाद में पंचान बोहरा समाज जरिये सचिव श्री फकरूद्दीन पिता अली मोहम्मद निवासी प्रतापगढ को पक्षकार बनाने व पंचान बोहरा समाज प्रतापगढ को वाद में पक्षकार नम्बर 2 प्रतिवादी दर्ज कर सम्मन जारी करने का निवेदन किया। न्यायालय द्वारा बिना किसी जवाब/बहस या जांच के पंचान बोहरा को समन जारी करने का आदेश दिया। पंचान बोहरा समाज जरिये सचिव श्री फखरूद्दीन पिता अली मोहम्मद प्रतापगढ को प्रतिवादी संख्या 2 संयोजित करने का विधिवत आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी

पारित नही किया गया है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोर्डेट/वादी द्वारा दौराने बहस बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय को पंचान बोहरा समाज को प्रतिवादी संख्या 2 संयोजित करते समय अलग से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जरिये सचिव फखरूद्दीन पिता अली मोहम्मद को अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा पंचान बोहरा समाज की तरफ से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। यदि पंचान बोहरा समाज को कोई आपत्ति होती तो तात्कालिक समय दर्ज करवानी चाहिये थी। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि बोहरा समाज को प्रतिवादी संख्या 2 संयोजित करने का प्रार्थना-पत्र वकिल वादी द्वारा दिनांक 23.01.1996 को प्रस्तुत किया गया था और बोहरा समाज उस समय वाद में पक्षकार नहीं थे तो आपत्ति कैसे दर्ज कर सकते थे। साथ ही न्यायालय को पंचान बोहरा समाज जरिये सचिव श्री फखरूद्दीन को पक्षकार प्रतिवादी संख्या 2 संयोजित करने का आदेश पारित कर संशोधित अनवान लेना चाहिये था तात्कालिक समय में लागू आदेश 1 नियम 8 के प्रावधानो के मुताबिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक था।

इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्देशों की पालना पूरी तरह नहीं की गई। इससे आशंका व्यक्त होती है कि पंचान बोहरा समाज को वाद में सही ढंग से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला हो। सचिव फखरूद्दीन ने पंचान बोहरा समाज के विरूद्ध चल रहे मुकदमें की पूर्ण जानकारी दी अथवा नहीं। चूंकि पंचान बोहरा समाज द्वारा सचिव को इस मुकदमे में प्रस्तुत होने हेतु अधिकार दिये अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं है। वादी रेस्पोर्डेट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में बिन्दु 2 में पंचान बोहरा समाज जरिये सचिव फखरूद्दीन पिता अली मोहम्मद प्रतापगढ को किस आधार पर प्रतिवादी प्रस्तावित किया गया यह उल्लेख नहीं है और न्यायालय द्वारा भी इसकी कोई तहकीकात नहीं कर पंचान बोहरा को सम्मन जारी करने का आदेश जारी कर दिया। इससे अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है और इसके तत्पश्चात की गई कार्यवाही पर संदेह पैदा हो जाता है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये जिसका सार इस प्रकार है-

1- AIR 1987 MADRAS 187- A Civil P.C. (5 of 1980) O.1 R.8 Suit filled in representative capacity-Rights of a community claimed-Non complince with R.8- suit not maintainable.

A person can not seek to advance the claims of a group of persons or community without adopting the procedure under O.1 R8 code of Civil procedure. If the relief is prayed for only on the basis of the rights of the community as such.---------- where He plantiffs are putting forward the rights of the community as such and claiming themselves to be the chosen representative of the community and the suit would not be maintainable in absence of complince with R.8 of O.1.

राजस्व अपील प्राधिकारी

इस दृष्टांत में भी माननीय न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 8 सी. पी.सी. की पालना करने को कहा है अन्यथा प्रकरण चलने योग्य नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त निम्न नजीरे भी वकिल अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई जिनका अध्ययन किया गया।

1. AIR SCW 1993 -3604
2. AIR 1993- Mad. 51
3. AIR 1991-orissa-33
4. AIR 1969 Raj 278
5. AIR 1955 NUC (RAJ) 6031

अपील के कॉलम संख्या डी व ई में आदेशिका के लेखन को लेकर शंका व्यक्त की गई है। मृतक जगदीश के कायम मुकाम करने की प्रक्रिया प्रश्नगत की गई है। कायम मुकाम का प्रार्थना-पत्र लम्बित होते हुये वादी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2 जा0दी0 प्रस्तुत हुआ। पूर्व की कार्यवाई रोक कर इस प्रार्थना-पत्र में बहस दिनांक 07.11.2000 को नियत कर दी गई जो अवैध है। इसका परीक्षण करने पर पाया गया कि वादी वाद विचारण के दौरान कोई भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है परन्तु यहा वादी की मृत्यु हो चुकी थी व कायम मुकाम कार्यवाही लम्बित थी जब तक मुकाम कायम होकर मृतक के वारीसान वादीगण के रूप में संयोजित नहीं हो जाते तब तक कोई प्रार्थना-पत्र कैसे पेश हो सकता है। यह कार्यवाही भी संदेह पैदा करती है।

अपील में कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात सन 1889 में महाराजा प्रतापगढ द्वारा मेला लगााने व मुसाफिर खाने के लिये भूमि पंच बोहरा समाज को दी गई थी एवं इस पर निर्माण कार्य करने की अनुमति भी गई थी। राजस्थान राज्य द्वारा राजस्थान राजपत्र में 30.06.1966 को अधिसूचना जारी कर वक्फ सम्पति भी घोषित किया है। अतः यह भूमि कृषि भूमि नही है।

इस आपति पर विश्लेषण करने पर पाया गया कि जो भूमि 1889 में महाराजा प्रतापगढ द्वारा मेला लगाने व मुसाफिरखाने के लिये पंचान बोहरा समाज को दी गई थी। वादग्रस्त भूमि उसी का एक हिस्सा है। रेस्पोडेंट वादी भी इस तथ्य को स्वीकार करते है। परन्तु यह भूमि वक्फ की सम्पति है इसमें संदेह है। माननीय न्यायालय राजस्थान वक्फ अधिकरण- ज्योतिनगर जयपुर द्वारा इसी वादग्रस्त सम्पति के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण संख्या 42/2004 निर्णय दिनांक 09.05.2019 में इसे वक्फ सम्पति नहीं माना। हालांकि इस निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थगन दिया गया है। अपील की कॉलम संख्या 1 से 6 पूर्व बिन्दुओं का दोहराव है जिनका विश्लेषण पूर्वोक्तानुसार किया जा चुका है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

अपील की कॉलम संख्या-7 में यह आपत्ति दर्ज की गई है कि तनकियात कायम करने के बाद पत्रावली वास्ते शहादत नियत थी परन्तु वादी की ओर से शहादत पेश नहीं की गई इसके बावजूद निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये। इस आपत्ति का विश्लेषण करने पर पाया गया कि दिनांक 13.05.1998 को तनकीयात कायम की गई थी इससे पूर्व पत्रावली दिनांक 19.02.1998 को वास्ते शहादत नियत थी परन्तु वादी शहादत पेश नहीं करना चाहते थे। अतः शहादत वादी बंद की गई। प्रतिवादी एवं वकिल उपस्थित नहीं होने से शहादत प्रतिवादी भी बंद कर दी गई और पत्रावली वास्ते बहस नियत कर दी गई। दिनांक 28.02.1998 को वकिल प्रतिवादी के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 10.02.1998 के आदेश को सेट असाईड किया गया और पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत की गई। इससे जाहिर होता है कि पत्रावली अब जवाब दावा हेतु नियत थी। दिनांक 18.04.1998 को जवाबदावा पेश होने पर दिनांक 13.05.1998 को तनकियात कायम की गई । इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 03.07.1998 तक शहादत हेतु नियत थी लेकिन इसके बाद पत्रावली विभिन्न प्रार्थना-पत्रों के जवाब व बहस हेतु नियत कर दी गई। दिनांक 17.05.2002 को पत्रावली में प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये कायम मुकाम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर बहस सुनी गई व पत्रावली वास्ते निर्णय नियत कर दी गई एवं दिनांक 23.05.2002 को पत्रावली में वाद निर्णय कर डिक्री कर दिया गया। यहां यह विचारणीय है कि वादी द्वारा दिनांक 19.02.1998 को वादी के निवेदन पर शहादत बंद कर दी परन्तु दिनांक 28.02.1998 को कार्यवाई सेट असाइड कर दी तो दिनांक 19.02.1998 को शहादत बंद करने की कार्यवाही भी निरस्त हो गई। इसके बाद पत्रावली जवाबदावा, तनकियात व शहादत हेतु नियत हुई। शहादत बंद करने का कोई निर्णय नहीं किया गया साथ ही प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. पर भी कोई निर्णय नहीं किया गया एवं एकतरफा बहस सुन पत्रावली निर्णय हेतु नियत कर दी गई जो उचित नहीं है। अपीलांट द्वारा उठाई गई आपति सही साबित होती है। इसके साथ ही यह भी विचारणीय बिन्दु है कि जब साक्ष्य नहीं हुई तो वादी/रेस्पोर्डेट द्वारा वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रदर्श भी नहीं हुआ तो निर्णय में उन दस्तावेजों का हवाला देकर तनकियात कैसे नियत की जा सकती है।

इसी क्रम में अपीलांट की कॉलम संख्या 8 व 9 यह आपत्ति है कि वादी द्वारा दिनांक 22.07.1998 को प्रतिवाद पत्र में संशोधन हेतु आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 का प्रार्थना-पत्र पेश किया जिस पर वादीगण रेस्पोर्डेट की ओर से जवाब भी पेश हुआ परन्तु इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया इसके बावजूद निर्णय व डिक्री पारित करना अवैध है। उक्त का परीक्षण करने पर पाया कि पूर्वोक्त पैरा में भी सिद्ध हो चुका है कि उक्त प्रार्थना-पत्र वाद के निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी

के समय तक अनिर्णित रहा। जब प्रार्थना-पत्र में जवाब प्रस्तुत हो चुका था व बहस नियत थी तो बहस होनी चाहिए थी चाहे अन्य प्रार्थना-पत्र क्यो नही प्रस्तुत हुआ हो। पत्रावली में उक्त प्रार्थना-पत्र की बहस रख दी गई। यदि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा निर्णय भी बाद में हुआ तो प्रार्थना-पत्र मेरिट पर तय किया जा सकता था। इस सम्बन्ध में वकिल रेस्पोर्डेट वादी का दौराने बहस कथन था कि पत्रावली शहादत में नियत होने के बाद प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 का प्रस्तुत नही हो सकता। यह अधीनस्थ न्यायालय को तय करना था कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाए या अस्वीकार। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र को पत्रावली पर ले लिया और जवाब भी वादी की ओर से प्रस्तुत हुआ व बहस भी नियत थी तो इसका निर्णय भी किया जाना आवश्यक था। यहां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के प्रार्थना-पत्र के निर्णय को किये बिना वाद में निर्णय व डिक्री पारित कर भारी भूल की है एवं अपीलांट की अपील में दर्ज आपत्ति सही सिद्ध होती है।

इसी प्रकार अपीलांट द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई कि प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2 जा0दी0 पर भी कोई आदेश नही हुआ एवं यह अनिर्णित रहा। इस प्रकार कायम मुकाम के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 के प्रार्थना-पत्र को निर्णित करने से पूर्व आदेश 13 नियम 2 व आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 के प्रार्थना-पत्र को निर्णित करना आवश्यक था। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दोनो प्रार्थना-पत्रों का निर्णय कायम मुकाम के प्रार्थना-पत्र निर्णित करने से पूर्व नही किया गया।

यहां अपीलांट की ओर से यह महत्वपूर्ण आपति दर्ज कराई गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन दस्तावेजों का हवाला अपने निर्णय में दिया गया है वे रेस्पोर्डेट वादी द्वारा आदेश 13 नियम 2 जा0दी0 प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये जिन्हें रेकार्ड पर लेने का कोई आदेश नहीं हुआ उसके बावजूद निर्णय में दस्तावेजो को शामिल करना उचित नही था।

अपीलांट द्वारा तनकियात के निश्चय पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया है अतः तनकियात के निर्णयों का भी विश्लेषण करना आवश्यक है।

दिनांक13.05.1998 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गई। तनकी संख्या 1 व 2 को सिद्ध करने का भार वादी पर था। परन्तु तनकियात कायम करने के बाद वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जबकि प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 पेश किया गया जो अनिर्णित रहा जबकि इस प्रार्थना-पत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये थे। यह सही है कि यदि प्रतिवादी के पक्ष में उक्त प्रार्थना-पत्र का निर्णय होता तो प्रार्थी के दस्तावेज न्यायालय द्वारा तनकियात तय करते समय देखे जा सकते

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

थे। तनकियात के बाद साक्ष्य भी आवश्यक थे। बिना साक्ष्य एवं दस्तावेजो को प्रदर्श करवाये बिना उन दस्तावेजो के आधार पर तनकियात तय करना उचित नहीं है।

इसी क्रम में तनकी क्रमांक 3 व 4 का निर्णय तनकी क्रमांक 1 व 2 के आधार पर किया गया। यह उल्लेखनीय है कि तनकी क्रमांक 1 व 2 को तय करते समय न्यायालय द्वारा कानूनी चूक की है तो तनकी संख्या 3 व 4 का निर्णय भी प्रश्नगत हो जाता है। बोहरा समाज को वादग्रस्त आराजीयात तात्कालिक स्टेट द्वारा मुसाफिरखाना, धर्मशाला, मेला आयोजन इत्यादि बाबत दी गई न की कृषि कार्य हेतु। राज्य सरकार के भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा इसे कृषि भूमि दर्ज कर दी तो इसमें बोहरा समाज का कोई दोष नही है। इस आधार पर राजस्व कार्मिकों द्वारा इसे बिलानाम घोषित करने पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है।

तनकी नम्बर-1 इस प्रकार हैः-

''आया शहर प्रतापगढ़ की पुरानी आराजी बिलानाम खसरा नम्बर 460 रकबा 1/9 बीघा व आराजी नम्बर 461 रकबा 0.1 बीघा वादी को सन् 1977 में 99 वर्ष के लिये लीज पर दी गई है जिसका नामान्तरण खोला जाकर तस्दीक किया गया है। इस आराजी नम्बर 460 का नया नम्बर 1075 में शामिल कर दिया गया है और खसरा नम्बर 461 का नया नम्बर 1081 बना।''

इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी व नामान्तरण एवं मिलान क्षैत्रफल के आधार पर माना कि वादग्रस्त आराजीयात वादी को लीज पर दी गई तथा उसके नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की गई लेकिन भू-प्रबन्ध संवत 2039 में इसके नये नम्बर प्रतिवादी-2 अपीलांट के नाम दर्ज कर दिये। अतः तनकी वादी के पक्ष में तय की गई।

दौराने बहस रेस्पोर्डेट संख्या 1/1 से 1/3 के विद्वान अधिवक्ता ने भी उक्त तथ्यों को दोहराया। उक्त वर्णित दस्तावेजो का अवलोकन करने पर राजस्व रिकार्ड की यथावर्णित स्थिति सही पाई गई और प्रथम दृष्टया तनकी सही तय की गई प्रतीत होती है परन्तु जैसा कि अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी हमारी थी व सेटलमेंट विभाग ने हमारे नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि जब दोनों पक्ष यह स्वीकार करते है कि वादग्रस्त आराजीयात पंचान बोहरा समाज को मेला आयोजन, मुसाफिरखाना बनाने इत्यादि हेतु प्राप्त हुई तो आखिर मै0जगदीश पेट्रोल पम्प को क्यो लीज पर दे दी गई। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने पर एवं वकिल रेस्पोर्डेट की बहस पर मनन करने पर पता चलता है कि सर्वप्रथम वादग्रस्त आराजी पंचान बोहरा समाज को आवंटित की गई परन्तु पंचान बोहरा समाज द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पेट्रोल पम्प संचालन हेतु किराये पर दे दी गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

जिसका ऑडीट आक्षेप होने पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की एवं रेस्पोर्डेट संख्या 1 के आवेदन पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा उक्त भूमि मै0 जगदीश पेट्रोल पम्प को 99 वर्ष लीज पर दे दी गई।

जब काल क्रम के अनुरूप इस पूरे घटना क्रम को संयोजित किया जाता है तो उक्त समस्त कार्यवाही में कई प्रश्न पैदा होते है एवं कई कानूनी एवं विधिक चूक भी उभरती है जो इस प्रकार हैः-

1. पंचान बोहरा समाज के निवेदन पर तात्कालिक महाराजा द्वारा सन् 1889 ई0 संवत 1946 आषाढ़ सूदी 10 को वादग्रस्त आराजीयात सहीत अन्य भूमि बोहरा पंचान समाज को मकान, सराय इत्यादि निर्माण बाबत दी थी। उक्त भूमि वर्तमान में प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय नगरीय सीमा में स्थित है। यह भूमि आजादी से पूर्व टिनेंसी एक्ट व भू-राजस्व एक्ट लागू होने से पूर्व व प्रथम राजकीय सेटलमेंट व प्रथम जमाबंदी से पूर्व कृषि से भिन्न कार्य प्रयोजनार्थ दी गई जिसे टिनेंसी एक्ट व भू-राजस्व एक्ट लागू होने के बाद संभवतः कृषि भूमि दर्ज कर दी गई जबकि यह भूमि पंचान बोहरा समाज को कृषि कार्य हेतु प्रदान नहीं की गई थी। चूंकि यह भूमि बाद में कृषि भूमि दर्ज हो गई जिस तरफ कभी पंचान बोहरा समाज द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गई। कृषि भूमि दर्ज होने के आधार पर राजस्व कार्मिकों द्वारा धारा 90-ए व 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई । देखने में उक्त कार्यवाही उचित प्रतीत होती है परन्तु भूमि पंचान बोहरा को अकृषि प्रयोजनार्थ देना व नगरीय सीमा में आबादी क्षैत्र में भूमि स्थित होने सम्बन्धित बिन्दुओं की अनदेखी कर तात्कालिक रिकार्ड के आधार पर राजस्व कार्मिको द्वारा धारा 90 ए व 91 के तहत कार्यवाही करना प्रश्नगत था। गहनता से विचार किया जाये तो वादग्रस्त आराजीयात पर विगत वर्षो से जिला कलक्टर महोदय द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र व एप्रूव्ड साइट प्लान के आधार पर पेट्रोल पम्प संचालित था व भूमि तात्कालिक महाराजा द्वारा आवास व सराय निर्माण इत्यादि अकृषि कार्य के लिये दी गई व भूमि आबादी के मध्य प्रतापगढ शहर में स्थित थी तो कृषि भूमि कैसे हो सकती है। मात्र रिकार्ड में दर्ज होने से कृषि भूमि मान लेना न्याय संगत नहीं है। मौके की स्थिति व अपीलांट के पास मौजूद ताम्र पत्र पर गौर नहीं किया गया। इस तथ्य को बाद में माननीय जिला सिविल न्यायालय में दायर वाद में भी समान खसरा 1075 में पारित निर्णय में स्वीकार किया गया व राजस्व कार्मिकों की कार्यवाही अपास्त की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान दिये बिना फौरी तौर पर उपलब्ध राजस्व रिकोर्ड के आधार पर तनकी नंम्बर 1 वादी के पक्ष में तय की। इस तनकी को कायम करने से पूर्व समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करना आवश्यक था। अतः ऐसा

प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी को तय करने में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का विश्लेषण नहीं किया गया।

2. न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 06.04.1977 को पारित निर्णय में उल्लेख है कि जिला कलक्टर महोदय से पेट्रोल पम्प लगाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र व एप्रुव्ड प्लान पेट्रोल पम्प स्थापना बाबत दिनांक 31.08.1961 को ले लिये थे। इससे साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर पेट्रोल पम्प की शुरूआत आवश्यक कार्यवाही के साथ की गई। भूमि का दुरूपयोग करने की मंशा नहीं थी।

3. न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 06.04.1977 को पारित निर्णय का अवलोकन करने पर पाया कि तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को कृषि भूमि मानकर धारा 90-ए व 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की है परन्तु पारित निर्णय में बार-बार उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त आराजियात पंचान बोहरा समाज को सराय निर्माण इत्यादि के लिये रियासत देवगढ़ द्वारा दी गई व पंचान बोहरा समाज ने पट्टे की शर्तो का उल्लंघन किया। यहां तहसीलदार न्यायालय द्वारा स्वयं स्वीकार किया जा रहा है कि भूमि सराय निर्माण (अकृषि प्रयोजनार्थ) पट्टे के रूप में रियासत द्वारा दी गई थी जबकि कार्यवाही कृषि भूमि मानकर की गई।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उक्त निर्णय में पंचान बोहरा समाज को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया और दिनांक 23.06.1977 को इस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 968 के तहत सिवाचक भूमि दर्ज किया गया और दिनांक 07.07.1977 को जिला कलक्टर महोदय द्वारा मै0 जगदीश पेट्रोल पम्प को भूमि 99 वर्ष लीज पर यह कहते हुये दे दी गई कि वादग्रस्त भूमि पर मै0 जगदीश पेट्रोल पम्प पूर्व से ही स्थापित है। इससे साबित होता है कि तहसीलदार द्वारा धारा 90-ए व 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपीलांट को तो बेदखल किया गया परन्तु उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल पम्प को नहीं हटाया गया। इससे तो तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का कोई औचित्य ही नहीं रहा बल्कि पंचान बोहरा समाज को उक्त भूमि में से बेदखल होना पडा। तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने से पूर्व अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल पम्प को 15 दिवस में हटाया जाना आवश्यक था। यहां न्यायालय तहसीलदार के निर्णय की पालना में तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा कानूनी चूक होना प्रतीत होता है। चूंकि न्यायालय द्वारा 15 दिवस में पेट्रोल पम्प अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

थे। न्यायालय के आदेश की पालना में अतिक्रमण हटाये बिना वादग्रस्त भूमि बिलानाम दर्ज करना व लीज पर देना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

उक्त समस्त प्रक्रिया पर ध्यान दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल वादी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, मिलान क्षेत्रफल एवं नामान्तरकरण दस्तावेजों के आधार पर तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में तय कर दी जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

तनकी नम्बर-2 इस प्रकार हैः-

"आया सेटलमेंट वालो ने बिना किसी आधार के उक्त दोनो खसरा नम्बर प्रतिवादी क्रमांक पंचायत बोहरान के वक्त सेटलमेंट वक्त दर्ज कर दिया गया ?"

इसका निस्तारण इस आधार पर किया गया कि रिकार्ड से ही इसका निर्धारण वादी के पक्ष में तय हो जाता है क्योकि तनकी संख्या 1 पहले ही वादी के पक्ष में तय हो गई है।

यहां भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब तनकी संख्या 1 को तय करते समय उपर्युक्त विवेचन के अनुसार कई विधिक भूल की है एवं तथ्यों की अनदेखी की है अतः इस आधार पर तनकी संख्या 2 का निर्णय भी उचित प्रतीत नही होता है।

तनकी नम्बर -3 इस प्रकार हैः-

"आया वाद विवादित आराजीयात कृषि भूमि नही है इस कारण यह वाद श्रीमान के क्षैत्राधिकार का नही है।"

तनकी नम्बर -4 इस प्रकार हैः-

"आया तत्कालीन स्टेट ने विवादित आराजीयात प्रतिवादी क्रमांक 2 को मुसाफिर खाना, धर्मशाला एवं मकानात बनानते हेतु बक्शीश में दी गई थी ?"

इन्हें प्रतिवादी क्रमांक 2 की तरफ से साबित की जानी थी परन्तु प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला जबकि न्यायालय द्वारा कथन किया गया है कि "प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।"

इस प्रकार तनकियात 3 व 4 का निर्णय विधि सम्मत पारित नहीं किया गया है।

इस प्रकार तनकियात 1 से 4 तक को विधि सम्मत नियत नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में पारित निर्णय भी निरस्त योग्य हो जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

पत्रावली में संलग्न माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जिला चितौड़गढ के वाद संख्या 32/1996 में दिनांक 31.05.2004 को पारित निर्णय का अवलोकन किया जिसका सार इस प्रकार है कि पंचान बोहरा समाज द्वारा आराजी नम्बर 1075 रकबा 0.98 है0 में प्रतिवादीगण द्वारा 90 ए की कार्यवाई की जा रही है जो अवैध है क्योंकि यह भूमि आबादी भूमि है। तहसीलदार द्वारा आरोपित शास्ति की राशि चुकाने पर न्यायालय ने रोक लगा दी और पंचान बोहरा समाज के विरूद्ध राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने यह माना कि भूमि आबादी के मध्य स्थित होकर कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं हो रही है अतः राजस्व अधिनियमों के तहत कार्यवाही संभव नहीं है। यहां उल्लेखनीय है कि विचाराधीन अपील व अधीनस्थ न्यायालय में निर्णित वाद की वादग्रस्त आराजी भी उक्त खसरा संख्या 1075 का ही एक पार्ट है अतः उक्त निर्णय वादग्रस्त आराजीयात पर भी लागू होता है।

फलस्वरूप पूर्व विवेचन एवं उक्त निर्णयानुसार प्रथम दृष्टया वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। अतः यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि की श्रेणी में है या आबादी क्षैत्र में स्थित अकृषि भूमि। इस आधार पर राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता इन पर लागू होती है अथवा नहीं? न्यायालय तहसीलदार द्वारा धारा 90-ए व 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोर्डेट संख्या 1/1 से 1/3 द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिनका अध्ययन किया गयाः-

आर.आर.डी. 1983 पेज 364, आर.आर.डी. 1994 पेज 266, आर.आर.डी. 2016 पेज 217 एवं डी.एन.जे. 2008(III) सुप्रीम कोर्ट पेज 1087

उक्त दृष्टांत सेटलमेंट द्वारा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन के मामले में चस्पा होते है परन्तु यहां राजस्व रिकार्ड ही प्रश्नगत है अतः इन्हें चस्पा नहीं माना जा सकता।

इसी के साथ दौराने बहस वकिल अपीलांट द्वारा भी निम्न साइटेशन पेश किये जिनका अध्ययन किया गयाः-

ए.आई.आर. 1960 पंजाब 34, ए.आई.आर. 1970 त्रिपुरा 82, ए.आई.आर. 1954 मध्यभारत 147, ए.आई.आर. 1989 पंजाब व हरियाणा 45, ए.आई.आर. 1971 पटना 200, ए.आई.आर. 1949 लाहौर 63, ए.आई.आर. 1940 कलकत्ता 373, ए.आई.आर. 1920 पटना 595, ए.आई. आर. 2007 सुप्रीम कोर्ट 1261, आर.आर.डी. 1991 पेज 591, आर.आर.डी.

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

1974 पेज 28, डी.एन.जे. 2003 (2) पेज 346 एवं ए.आई.आर. 1998 सुप्रीम कोर्ट 972.

उक्त न्यायिक दृष्टांत अपील मेमों के कथनों पर आंशिक रूप से लागू होते है।

उपर्युक्त समस्त विवेचन के फलस्वरूप स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने सुनवाई कई वाकियाती अहम भूल की है एवं निर्णय पारित करने से पूर्व महत्वपूर्ण बिन्दुओं व कानूनी व विधिक स्थिति का ढंग से परीक्षण नहीं किया है अतः अपील स्वीकार योग्य साबित होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार कर दिनांक 23.05.2002 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निम्न निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि-

1. न्यायालय समस्त पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित करे
2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 14.09.1995 की विधिवत पालना कर पंचान बोहरा समाज का उचित प्रतिनिधित्व सुनवाई के दौरान सुनिश्चित करें।
3. वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि है अथवा अकृषि। इस बाबत रिकार्ड, महाराजा द्वारा प्रदत्त पट्टा व शर्तें, वादग्रस्त आराजीयात का नगरीय क्षैत्र में स्थित होना, खसरा गिरदावरी, न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय, मौके की स्थिति व प्रकरण संख्या 32/1996 सिविल न्यायालय में दिनांक 31.05.2004 को पारित निर्णय इत्यादि का अध्ययन कर उचित निर्णय करे एवं आपके न्यायालय की अधिकारिता सम्बन्धित प्रश्न का विनिश्चय करें।
4. न्यायालय तहसीलदार, प्रतापगढ द्वारा दिनांक 06.04.1977 को पारित निर्णय की पालना तहसीलदार द्वारा किस प्रकार की गई। अवैध निर्माण को 15 दिवस में क्यो नही हटाया गया और बिना पेट्रोल पम्प हटाये बेदखली की कार्यवाही पूर्ण कैसे हो गई? इसलिये क्या तहसीलदार द्वारा विवादग्रस्त भूमि विधिसम्मत ढंग से बिलानाम दर्ज की गई? इसका विनिश्चय भी करना उचित होगा।
5. अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जिनका निर्णय नहीं किया गया, सी.पी.सी. के प्रावधानों के मुताबिक उनका निर्णय भी किया जाये।
6. इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय जो भी उचित समझे विधिसम्मत कार्यवाही करते हुये सी0पी0सी0 के आज्ञापक प्रावधानो की पालना कर नव निर्णय पारित करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.07.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब लौटाई जावें।

07-07-2023.

(गिरीश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)